निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-121/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के माह 03/2017 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.12.2018 से 26.12.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कलवन्त सिंह एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.06.2017 से 01.07.2017 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - समस्त देहरादून

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	24509.00
2016-17	32067.93
2017-18	40344.58

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(`)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	363.41	329.45	-	33.96
2016-17	-	-	-	-	298.63	295.59	-	3.04
2017-18	-	-	-	-	349.72	338.30	-	11.42

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव (आबकारी) - आबकारी आयुक्त - अपर आबकारी आयुक्त - वित्त नियंत्रक - संयुक्त आबकारी आयुक्त - उप आबकारी आयुक्त - सहायक आबकारी आयुक्त - आबकारी निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 06/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रस्तर-1 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाना `2.07 लाख

इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यो के सम्पादन मे कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नही है, उसे जब्त करेगा।

पुन: अनुसूची एक ख-12 -क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक `1000/- या उसके भाग के लिये पांच रुपये परन्तु शुल्क `10000/- से अधिक नही होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के देशी , विदेशी एवं मिश्रित मदिरा के फुटकर लाइसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18 (संलग्न विवरण) के अनुसार लाइसेन्स धारक द्वारा जो बैक गारण्टी जमा की गयी थी उस पर स्टाम्प शुल्क कम अदा किया गया था जिसके कारण कुल ` 207651/- कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि इस संबंध मे उत्तराखंड शासनादेश संख्या -118 /वि अनु० 5/स्टाम्प /2004 दिनांक 31-03-2004 के पारा तीन मे उल्लेखित हैं की विषयगत मामले मे न्यायालय के निर्णय 29-10-2003 का समादर करते हुए कार्य सविन्दा से संबन्धित अनुबंध विलेख पत्र मानते हुए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची -1 बी के अनुछेद -57 से आच्छादित समझते हुए ऐसे जमानत पत्रो पर एक मुश्त रु 100/- का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा | तथा पूर्व मे लेखापरीक्षा द्वारा इसप्रकार की ऑडिट आपत्तिया उठाई गई हैं जो उक्त अभिलेखो के आधार पर मा० लोक लेखा समिति द्वारा निस्तारित की जा चुकी हैं इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैंक्योकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 33 के प्रावधानानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना अनिवार्य होगा |

अत: रु 2.07 लाख राजस्व कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

क्रम सं0	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	बैंक गारंटी की धनराशि	बैंक का नाम	देय स्टाम्प शुल्क (रू में)	जमा स्टाम्प शुल्क (रू में)	अवशेष स्टाम्प शुल्क (रू में)
1	डांडा लाखोड़ सहस्रधारा रोड		3919114		10000	-----	10000
2	लंडोर		637703		10000	-----	10000
3	धर्मपुर		5711898		10000	100	9900
4	रेशम माजरी		3571290		10000	100	9900
5	रानीपोखरी		6804739		10000	100	9900
6	त्योणी		2023130		10000	100	9900
7	गांधीरोड		4311581		10000	100	9900
8	अकबतहसील		4738246		10000	150	9850
9	राजपुर रोड-3		5426501		10000	----	10000
10	कांवली रोड		5018580		10000	-----	10000
11	हरिद्वार बाई0		3552469		10000	100	9900
12	मोहक्मपुर		4765890		10000	100	9900
13	रायपुर		5192420		10000	100	9900
14	पटेल नगर		7227779		10000	100	9900
15	सेलकुई		6717742		10000	100	9900
16	लाईवेरी		3550175		10000	100	9900
17	बल्लुपुर		5307539		10000	100	9900
18	कावली रोड		5882843		10000	100	9900

19	बाडोवाला		828000		4140	100	4040
20	सहसपुर		2127788		10000	100	9900
21	कुल्हाल		684375		3421	---	3421
22	सैया		368000		1840	-----	1840
23	लालतप्पण		3142600		10000	100	9900
योग					209401	1750	207651

भाग 2 ब

प्रस्तर -2 निर्धारित फीस का त्रुटिपूर्ण आंगणन किए जाने से रु 2.20 लाख राजस्व क्षति |

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017देहरादूनदिनांक 19मई 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 27मेयह प्रावधान किया गया है किरेस्टा /क्लब बार लाइसेन्स हेतु लाइसेन्स फीस क्लब बार के सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गई हैं |

जिला आबकारी अधिकारी देहारादून के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि ''the stray dog's club (A Unit of mass catering Service Pvt Ltd) Tabor House Landour मसूरी को क्लब बार FL -7C मे वर्ष 2016-17 से अनुज्ञापन किया गया था |क्लब द्वारा वर्ष 2017-18 के रु 1.80 लाख का लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु challan दिनांक 3 मार्च 2017 को जमा किया गया था तथा घोषित किया गया कि क्लब के 81 सदस्य हैं |लेखापरीक्षा मे पाया गया कि क्लब के सदस्यो कि सूची के क्रमांक 1 से 10 तक,क्रमांक 52 और 53 पर तथा अन्य सदस्य कोई व्यक्तिगत (Individual) सदस्य न होकर एक समूह (group of members) हैं जिन्हे बिना किसी आधार के एक सदस्य स्वीकार्य किया गयाएक समूह को इकाई मानना अनौचित्यपूर्ण था अत: इन समूह के हजारो सदस्यो को भी इकाई मनाने/स्वीकार करने से क्लब बार 100 से कम सदस्य स्वीकार कर लिए गए जबकि क्लब बार हेतु लाइसेन्स फीसअधिकतम 500 सदस्य के समान देय थी। अत : 500 से अधिक सदस्यो के लिए लाइसेन्स फीस निर्धारण रु 4.00 लाख देय थी जबकि क्लब द्वारा रु 1.80 लाख मात्र जमा किया गया था अत:रु 2.20 लाख निर्धारित फीस अप्राप्त रहने से राजस्व हानी हुई |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि परीक्षण करने के उपरांत धनराशि जमा कराये जाने कि कार्यवाही कि जाएगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ख

प्रस्तर 3- ₹1.00 लाख के वसूल न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति |

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017देहरादूनदिनांक 19 मई 2017को जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु जारी अधिसूचना के नियम 26 के अनुसार होटल बारो की लाइसेन्स फीस के निर्धारण एफ़एल-6 (साभिन्न बार के लिए (20 से अधिक किन्तु 60 से अनधिक तक) ₹ 6.00 लाख की धनराशि निर्धारित की गयी थी |

जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि गढ़वाल टैरस मसूरी (28 कमरो)हेतु वर्ष 2017-18 के लिए बार लाइसेन्स फीस ₹ 5.00 लाख चालन दिनांक 22-02-2017 द्वारा जमा की गई थी | परन्तु अवशेष धनराशि ₹1.00 लाख के जमा किए जाने के प्रमाण पत्रावली मे नहीं हैं |

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया किपरीक्षण करने के उपरांत धनराशि जमा कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी |

अत: कम वसूल की गयी लाईसेन्स फीस की ब्याज मय वसूली लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी। प्रकरण विभाग के संज्ञान मे लाया जाता हैं |

प्रस्तर:-04 -आवेदन पत्र की बिक्री पर कर वसूल न किए जाने से राजस्व क्षति ₹ 2.60 करोड़।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 के अनुसार व्यौहारी (dealer) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोवार के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का क्रय ,विक्रय का कारोवार करता है। इस अधिनियम की धारा 42 के अनुसार विक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गयी है या प्राप्य है । इसी अधिनियम की धारा 4(2)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची मेँ सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है ।

उत्तराखण्ड शासन, आवकारी अनुभाग की अधिसूचना स॰-260/XXIII/2017/04(01)/2017 देहारादून दिनांक 19-05-2017 के बिन्दु स॰ 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विदेशी मदिरा दुकान हेतु रु 25000/-एवं देशी के लिए 22,000/-आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित किया गया था। जो वापसी योग्य (Non-Refundable) नहीं था।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के अभिलेखों में वर्ष 2017-18 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मेँ पाया गया की विदेशी मदिरा की दुकानों की लाटरी/नीलामी हेतु 5934 ,देशी मदिरा दुकान हेतु 657 , मिश्रित दुकान हेतु 1097 एवं बीयर दुकानों हेतु 97 आवेदन पत्रों को विक्रय किया गया था। आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि ₹ 19,26,54,000/= को लेखाशीर्ष 0039- राज्य उत्पादन शुल्क, 800- अन्य प्राप्तियाँ, 05- आवेदन शुल्क (अन्य मद) में जमा किया गया था। उक्त धाराओ के अनुसार आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि ₹19,26,54,000/= पर 13.5% की दर से ₹ 2,60,08,290/= कर राजकोष मेँ जमा किया जाना अपेक्षित था। जो विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया किउक्त फीस मात्र प्रक्रिया के रूप ले ली गई हैं न कि आवेदन शुल्क के रूप मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकिआबकारी नीति मे आवेदन शुल्क को कही पर भी प्रक्रिया शुल्क के रूप नहीं बताया गया हैं तथा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की उक्त धाराओं के अनुसार प्रत्येक बिक्री पर कर आरोपणीय होगा।

अत: उक्त राजस्व क्षति ₹ 2.60 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-05 दंडक ब्याज वसूल न किए जाने से राजस्व क्षति ₹ 2.49 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017देहरादूनदिनांक 19मई 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 16(7) मेयह प्रावधान किया गयाकि यदि आवेदक अनुज्ञापी के तौर पर चयनित होता हैं तो उसे मदिरा दुकान के अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करना होगा एवं प्रतिभूति कि धनराशि जो कि एक माह के अभिकर के बराबर हो को सात दिवस के भीतर एवं एक माह के बराबर नकद अथवा बैंक गारंटी की धनराशि तीस दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा |पुनः दुकानों के व्यवस्थापन मे अनुज्ञापि को दी गई शर्तो क्रम स -06 पर उल्लेखित था कि अनुज्ञापि द्वारा विभिन्न देयों के रूप मे प्रस्तुत बैंक ड्राफ्टों का समासोधन विलंब से होने पर अथवा प्रतिभूति (नगद/बैंक गारंटी) विलंब से जमा करने पर विलंब कि अवधि के लिए 18 % कि दर से दंडक ब्याज देय होगा उक्त शर्ते पूर्ण न करने कि दशा मे आवंटित मदिरा दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा साथ ही अवगत कराना है कि नियम -2 के अनुसार मदिरा दुकानों कि लाइसेन्स फीस निर्धारण फुटकर दुकानों की लाइसेन्स फीस नियम -1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के क्रमश : 8 % के बराबर निकटतम ₹1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जाएगी | ₹ 25 लाख रुपए से अधिक लाइसेन्स फीस होने के स्थिति मे ₹ 25.00 लाख व्यस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किस्तों मे मे माह सितम्बर 2017 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी ।

जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून के अभिलेखो की जांच मे निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी-

1. रायपुर विदेशी मदिरा दुकान अनुज्ञापि द्वारा अनुज्ञापन शुल्क, प्रथम प्रतिभूति एवं द्वितीय प्रतिभूति को समय से नहीं जमा किया गया था। संलग्न तालिका के अनुसार अनुज्ञापन शुल्क पर ₹ 21809/- प्रथम प्रतिभूति पर ₹ 71312/- तथा द्वितीय प्रतिभूति पर देय दंडक ब्याज ₹ 117790/- के सापेक्ष मात्र ₹31155 /- की वसूली की गयी थी अतः कुल ₹ 179756/- दंडक ब्याज की वसूली नहीं किए जाने से राजस्व की क्षति हुई |

विभाग के संझान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पत्रवालियों के परीक्षणोपरांत धनराशि जमा कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी ।

2. विदेशी मदिरा दुकान रायवालासंलगन तालिका -1 देरी से जमा लाइसेन्स फीस पर ब्याज 251933 की वसूली की जानी थी परंतु विभाग द्वारा मात्र ₹182583/- की मांग की गई| इसप्रकार रु 69350/- के दंडक ब्याज मे अंतर पाया गया। तदनुसार, विभाग द्वारा जारी वसूली की मांग ₹ 42,24,607/- के स्थान पर ₹42,93,957/- होनी चाहिए थी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि RC जारी की गयी जहां तक अनुज्ञापन शुल्क का प्रश्न है पुनः आगणन कर संशोधित आरसी जारी कर दी जाएगी।

अत: कम वसूल किए गए दण्डक ब्याज की वसूली लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी। प्रकरण विभाग के संज्ञान मे लाया जाता हैं |

तालिका - 1 - रायपुर - विदेशी मदिरा दुकान, वर्ष 2017-18 में विलम्ब जमा अनुज्ञापन शुल्क, प्रथम प्रतिभूति एवं दिवतीय प्रतिभूति पर विलम्ब जमा पर देय दण्डक ब्याज:

मद	**देय दण्डक ब्याज**	**वसूल दण्डक ब्याज**	**शेष**
अनुज्ञापन शुल्क	21,809	-	21,809
प्रथम प्रतिभूति	71,312	-	71,312
द्वितीय प्रतिभूति	1,17,790	31,155	86635
कुल	2,10,911	31,155	1,79,756

तालिका - 2- रायवाला विदेशी मदिरा दुकान पर लाइसेन्स फीस पर देय दण्डक ब्याज

लाइसेन्स फीस- 131,37,000

अनुज्ञापन तिथि - 04.07.2017

देय तिथि	देय राशि	भुगतान राशि	जमा करने की तिथि	विलम्ब दिवस	विलम्ब दण्डक ब्याज
04.07.17	25,00,000	25,00,000	27.09.17	85	104,795
अगस्त 17	53,18,500	30,00,000	25.09.17	25	36,987
		23,18,500	06.10.17	36	41,163
सितम्बर 17	53,18,500	6,81,500	6,10,17	06	2,017
		20,00,000	17.10.17	17	16,767
		15,00,000	2.11.17	33	24,411
		11,37,000	15.11.17	46	25,793
लेखापरीक्षा के अनुसार ब्याज					2,51,933
विभाग के अनुसार					1,82,583
अंतर					**69,350**

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-6 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि मे आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूद लाईसेंस फीस जब्त न किया जाना `906.12 लाख

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या -260/XXIII/2016/04(01) 2017देहरादून दिनांक 19 मई 2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु के नियम 16(3) मेयह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise(settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहारादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-18मे जनपद केदेशी , विदेशीएवं मिश्रित मदिरा के अनुज्ञापियों (संलग्नक के अनुसार) द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-16(3) के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे।अत विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस 906.192लाख, वर्ष 2017-18 (संलग्नक-1) मे सरकार के पक्ष मे जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना चाहिए था एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर लाइसेन्स हेतु जमा धनराशि एवं प्रतिभूति जमा धनराशि को जब्त किए जाने की कार्यवाही नही की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया किइसप्रकार घोषित आबकारी नीति के नियम -16(3) के अनुसार निश्चित समयावधि मे आवश्यक औपचारिकताऐ पूर्ण नहीं हो सकी यहा यह भी अवगत करना हैं कि उपरोक्त परिस्थितियो के दृष्टिगत मात्र औपचरिकताए पूर्ण न होने के कारण दुकान का आवंटन निरस्त करने पर राजस्व की क्षति से इंकार नहीं किया जा सकता था ।विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि लाइसेंस निरस्त न किए जाने के संबंध मे शासन से कोई आदेश निर्गत नही किया गया था। अत विभाग को अनुज्ञापियों का लाईसेन्स निरस्त करते हुए जमा लाईसेन्स फीस व अन्य राजस्व जमा जब्त किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं

संलग्न

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-121/2018-19

क्र०स०	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	दुकान आवंटन तिथि	दस्तावेज़ प्रस्तुत की अंतिम तिथि	विलंब से प्रस्तुत दस्तावेज़	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की तिथि	लाइसेन्स फीस
1	रतनपुर	श्री बृजेश पाण्डेय	30-05-2017	20-06-2017	स्थायी निवास प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	01-11-17 09-10-17	1109000/-
2	शास्त्रीनगर	श्री दिनेश यादव	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र	04-07-17 18-07-17	23,38,000/-
3	मोथोरोवाला डांडी	श्रीमती आराधना शर्मा	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	05-08-17 02-08-17	863000/-
4	थोटी	श्री ममता कर्णवाल	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	11-08-17 15-07-17	20,86,000/-
5	हर्वटपुर	श्रीमती श्रवणी देवी	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र	06-07-17	35,08,000/-
6	कंवली रोड	श्री सत्यप्रकाश लूथरा	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र हैसियत प्रमाण पत्र	24-06-17 24-06-17	30,10,000/-
7	गुच्चीपनी	श्री रणवीर सिंह	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र		49,16,000/-
8	राजपुर रोड	श्री संजय कुमार	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र	25-07-17	15,62,000/-
9	प्रेमनगर	श्रीमती जनकरानी महोत्रा	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण	11-08-17 14-09-17	29,66,000/-

10	लाइब्रेरी	श्री देशराज मल्होत्रा	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	02-08-17 02-08-17	5,28,000/-
11	कांवली रोड	श्री सुशांत राज	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	19-01-18 प्रस्तुत नहीं	5115000
13	सहसपुर	श्रीमति उषा देवी	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	10-08-17 15-07-17	1850000
14	धर्मपुर	कु शैफाली वालिया	30-05-2017	20-06-2017	स्थायी निवास प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	25-08-17 24-06-17	4967000
15	बड़ोवाला	श्री प्रकाश बाडोनी	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	11-07-17 04-07-17	720000
16	लाल तपप्ड	श्री शैलेंद्र शिंघ बिस्ट	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र	05-08-17 05-08-17	2733000
17	रेशम माजरी	श्रीमती अनीता जायसवाल	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र पैन कार्ड	05-09-17 18-07-17 प्रस्तुत नहीं	3105000
18	हरिद्वार बाइपास	श्री शिव राज सिंह नेगी	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र	11-08-17 24-06-17 01-09-17	३०८९०००
19	जीवन गढ़	श्री दक्षेशवर कुमार धवन	30-05-2017	20-06-2017	चरित्र प्रमाण पत्र	18-01-18	1138000
20	हरीपुर	श्रीमती सुषमा नै थानी	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	15-07-17 15-08-17	1091000

21	आइ एस बी टी	श्री विक्रम सिंह वालिया	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र	14-07-17 10 -07-17	3673000
22	आराघर	श्री मंजीत सिंह	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	16-07-17 24-06-17	8363000
23	सेलाकुई	श्री चंद्रमोहन गुप्ता	30-05-2017	20-06-2017	स्थायी निवास प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	04-07-17 13-07-17	4584000
24	हरिद्वार बाइपास निकट करगी चौक	श्री सुशील कुमार	30-05-2017	20-06-2017	स्थायी निवास प्रमाण पत्र पैन कार्ड	28-07-17 28-07-17	3966000
25	राजपुर रोड - 1	श्रीमती उषा जयसवाल	30-05-2017	20-06-2017	हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र	13-07-17 04-07-17	5592000
					योगफल		906.192 लाख

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SE-22/1997-98	-	01	
SE-29/2000-01	**01,02**	**01**	
SE-38/2015-16	**01**	**01**	
SE-40/2017-18	**01,02**	**01**	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री पवन कुमार सिंह	जि.आ.अधि.	(विगत लेखापरीक्षा से 09.04.2017)
(ii)	श्री मनोज कुमार उपाध्याय	जि.आ.अधि.	(10.04.2017 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र